

छठी अनुसूची
(धारा 84 देखिए)

अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन का पाठ	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख	
सा.का.नि. 277(अ), तारीख 1 मार्च, 1988 [88/88, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988]	उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— ‘(क) “ग्रामीण क्षेत्र” पद का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खंड (चच) में उसका है।’।	21 फरवरी, 2000 से 28 फरवरी, 2003 तक (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)	5